29/8/2025 पत्रा. पेश हुई। प्रार्थी वसीम उप.। प्रार्थी का दावा खारिज किया जा चुका है। अब इस प्रार्थना-पत्र 212 RTA का कोई औचित्य नहीं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 212 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फुलस्केप आकार होकर नम्बर से कम किया जाकर दाखिले दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 15:21:38 IST
Reason: SelfAttested